न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/13/2019	2019/00027	18.03.2019	11.06.2024

1. नीलम कुमार पुत्र स्व0 राधेश्याम, उम्र करीब 40 साल, जाति ब्राहम्ण, निवासी प्लॉट नं0 108, आजाद नगर, अलवर राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती शांति देवी बेवा राधेश्याम, जाति ब्राहम्ण, निवासी प्लॉट नं0 108 आजाद नगर अलवर।
2. वेदप्रकाश पुत्र स्व0 राधेश्याम, जाति ब्राहम्ण, निवासी प्लॉट नं0 108, आजाद नगर अलवर। राज0।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर राजस्थान दिनांक 01.02.2019 जिसके द्वारा प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट सं0 2 द्वारा 1500/— रू 1500/— रू. प्रति माहवार के हिसाब से वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण अधिनियम 2007 के तहत

उपस्थितः—
01. श्री विक्रांत माथुर —वकील अपीलांट

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा—16 माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 एवं तदसंबंधी नियम, 2010 उपखण्ड अधिकारी, अलवर के आदेश दिनांक 01.02.2019 जिसके द्वारा अपीलान्ट से 1500/—रूपये मासिक भरण—पोषण भत्ता दिलाये जाने के आदेश पारित किए गए है, से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। जिस पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित में तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि आलोच्य निर्णय न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर राजस्थान दिनांक 01.02.2019 से व अइयाम मिलने नकल हुक्म मुजरा दे से अपील अन्दर मियाद पेश है। तजबीज न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर होने से अपील काबिल समाअत अदालत श्रीमान् है। तजबीज अदालत मातहत बेजा व खिलाफ मंसाय कानून व बेजा व रूएदार मिसल महज कयासया है, जो काबिल मंसुखी है। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया रेस्पोडेण्टा सं. 1 ने एक परिवाद पत्र तहत अदालत में माता—पिता एंव वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 प्रार्थी के पुत्र है। जिनमें से अप्रार्थी सं. 2 के साथ प्रार्थी प्लॉट नं. 108 आजाद नगर, अलवर में निवास कर रही है। प्रार्थी के खान पान व दैनिक खर्चा की पूर्ति व बीमारी में संभाल व दवा इत्यादि की आवश्यकता के खर्चा की पूर्ति उसके बड़े पुत्र अप्रार्थी सं. 2 द्वारा ही की जाती है। अप्रार्थी सं. 1. प्रार्थी का छोटा पुत्र

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

है। जो प्रार्थी की वृद्धावस्था में उसकी देखरेख व संभाल नहीं करता है व ना ही प्रार्थी को भरण पोषण के लिए खर्चा देता है। अप्रार्थी सं. 2 के दो बच्चे है। जिसे नौकरी से कुछ अर्सा पूर्व हटाया जा चुका है, बावजूद उसके अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अपनी आर्थिक विपरीत परिस्थिति के बावजूद प्रार्थी का भरण पोषण किया जा रहा है। प्रार्थी स्वयं कमाकर आय अर्जित करने में असमर्थ है। जिसे अपने भरण पोषण के लिये खर्चे की आवश्यकता है तथा अप्रार्थी सं. 1 बदयान्तीपूर्वक अपने दायित्वों को नहीं निभा रहा है। अप्रार्थी सं. 1 के पिता के निधन के उपरान्त विरासत में प्राप्त सम्पति में रिहायश रख रहा है परन्तु प्रार्थी की वृद्धावस्था में उसके भरण पोषण का दायित्व नहीं निभा रहा है। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी सं. 1 व 2 से कम से कम 3000–3000/– रू. भरण पोषण की राशि दिलाये जाने का निवेदन किया। मिन अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा अपने परिवाद पत्र का तहत अदालत में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीनी रेस्पोडेण्टा सं. 1 की चार संतान हैं सबसे बड़ी संतान अप्रार्थी रेस्पोडेण्ट सं. 2 वेदप्रकाश है उससे छोटी मंजू शर्मा पुत्री है व तीसरे नंबर पर बीना शर्मा पुत्री है व सबसे छोटी संतान मिन अप्रार्थी अपीलाण्ट सं. 1 है। मिन अप्रार्थी अपीलाण्ट के पिता का मकान प्लॉट सं. 108, आजाद नगर, शहर व जिला अलवर में स्थित है। जिसे कि मिन अप्रार्थी अपीलाण्ट के पिता श्री राधेश्याम द्वारा अपने जीवनकाल में प्लॉट खरीद कर मकान निर्माण किया गया था। जिस मकान के बाबत एक बंटवारानामा प्रार्थीनी रेस्पोडेण्टा सं. 1 व मिन अप्रार्थी अपीलाण्ट सं. 1 व अप्रार्थी रेस्पोडेण्ट सं. 2 के बीच दिनांक 08.05.2011 तहरीर व तकनील किया गया था। जो कि नोटेरी से तस्दीकशुदा है व गवाहन की गवाही हो रही है। उक्त बंटवारेनामे के अनुसार तीनो पक्षकारान उक्त जायदाद में रिहायश कर रहे हैं किन्तु प्रार्थीनी रेस्पोडेण्टा सं. 1 का स्वभाव तेज व क्रोधी होने के कारण मिन अप्रार्थी अपीलाण्ट के साथ आये दिन झगडा फिसाद कर मिन अप्रार्थी अपीलाण्ट को अपने पिता के उत्तराधिकारी की हैसियत से प्राप्त हिस्से की एवज में राशि की मांग करती रही है। जिससे परेशान होकर व आये दिन के झगडे फिसाद से निजात पाने के लिए मिन अप्रार्थी अपीलाण्ट ने प्रार्थीनी रेस्पोडेण्टा सं. 1 को दिनांक 10.09.2011 को 1,00,000/– रू. नगद उक्त जायदाद में अपने हिस्से की एवज में अदा किये। जिस बाबत एक दस्तावेज ईकरारनामा बय प्रार्थी रेस्पोडेण्टा सं. 1 व मिन अप्रार्थी अपीलाण्ट के मध्य तहरीर व तकमील किया गया। जिस पर प्रार्थीनी रेस्पोडेण्टा ने 1,00,000/– रू. प्राप्ति के बाबत रसीद पर रसीद टिकट लगाकर अंगूठा निशानी व हस्ताक्षर किये जबकि प्रार्थीनी रेस्पोडेण्टा सं. 1 ने अप्रार्थी रेस्पोडेण्ट सं. 2 से उक्त जायदाद में हिस्से के बाबत कोई राशि की मांग नहीं की और अप्रार्थी रेस्पोडेण्ट सं. 2 के पक्ष में अपना हिस्सा जायदाद में से छोड दिया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीनी रेस्पोडेण्टा सं. 1. अप्रार्थी रेस्पोडेण्ट सं. 2 से प्रभावित है व अप्रार्थी रेस्पोडेण्ट सं. 2 के कहे अनुसार ही समस्त कार्यवाही कर रही है। प्रार्थीनी रेस्पोडेण्टा सं. 1 को सरकार की ओर से विधवा वृद्धावस्था पेंशन हर माह प्राप्त होती है। प्रार्थीनी रेस्पोडेण्टा सं. 1 मांगलिक कार्यक्रम शादी, उत्सव, जन्मोत्सव, विदाई आदि पर मांगलिक गीत गाती है। जिससे भी प्रार्थीनी रेस्पोडेण्टा सं. 1 को अच्छी आय प्राप्त होती है। प्रार्थीनी रेस्पोडेण्टा सं. 1 पूर्ण रूप से स्वस्थ है तथा आत्म निर्भर है। प्रार्थीनी रेस्पोडेण्टा सं. 1 तहत अदालत में प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व मिन अप्रार्थी अपीलाण्ट के पास रहकर सुबह व शाम का भोजन कर दिनचर्या व्यतीत कर रही थी किन्तु प्रार्थीनी रेस्पोडेण्टा सं. 1 को अप्रार्थी रेस्पोडेण्ट सं. 2 इस आशय से भडकाता है कि वह पुश्तैनी रिहायशी जायदाद मकान नंबर 108, आजाद नगर, अलवर से मिन अप्रार्थी अपीलाण्ट को बेदखल करना चाहता है। अप्रार्थी रेस्पोडेण्ट सं. 2 की संतान बालिग है, अप्रार्थी रेस्पोडेण्ट सं. 2 स्वयं के पास

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अच्छी आय के साधन है व साधन सम्पन्न है तथा पुश्तैनी जायदाद में अपने हिस्से पर दो मंजिला मकान बना रखा है। जिसके कुछ पोर्शन को किराये पर भी दे रखा है जबकि मिन अप्रार्थी अपीलाण्ट मंदिर मे पुजारी का कार्य करता है। जिससे उसे इतनी ही आय प्राप्त होती है कि वह अपना व अपने परिवार का बमुश्किल भरण पोषण कर सके। प्रार्थीनी रेस्पोडेण्टा सं. 1 का इण्डियन बैंक में बचत खाता है। जिससे वह हर माह पैसे को जमा कराने व निकालने के लिए उपयोग में लेती है। जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थीनी रेस्पोडेण्टा सं. 1 के पास स्वयं की आय है। मिन अप्रार्थी अपीलाण्ट, प्रार्थीनी रेस्पोडेण्टा सं. 1 जो कि मिन अप्रार्थी अपीलाण्ट की माता है, का भरण पोषण की व्यवस्था करने के लिए हमेशा तैयार व तत्पर है ओर पूर्व में मिन अप्रार्थी अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु के पश्चात प्रार्थीनी रेस्पोडेण्टा सं. 1. मिन अप्रार्थी अपीलाण्ट के साथ ही रिहायश करती रही है चूंकि मिन अप्रार्थी अपीलण्ट घर में सबसे छोटी संतान है किन्तु मिन अप्रार्थी अपीलाण्ट अलग से प्रतिमाह कोई राशि प्रार्थीनी रेस्पोडेण्टा सं. 1 को अदा करने में असमर्थ है चूंकि मिन अप्रार्थी अपीलाण्ट की कोई निश्चित आय नहीं है। अप्रार्थी रेस्पोडेण्ट सं. 2 की पत्नी, अप्रार्थी रेस्पोडेण्ट सं. 2 से व प्रार्थीनी रेस्पोडेण्टा सं. 1 से व अन्य परिवारजन से झगडा फिसाद कर अपने पीहर चली गई थी व लम्बे समय तक अपने पीहर ही रही है। उस स्थिति में प्रार्थीनी रेस्पोडेण्टा सं. 1 व अप्रार्थी रेस्पोडेण्ट सं. 2 की खानपान की व्यवस्था अपने घर में रखी है। तहत अदालत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थीनी रेस्पोडेण्टा सं. 1 द्वारा बिना किसी कारण के अप्रार्थी रेस्पोडेण्ट सं. 2 के बहकावे में आकर प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी रेस्पोडेण्ट सं. 2 द्वारा प्रार्थीया रेस्पोडेण्टा सं. 1 के तहत अदालत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थीया रेस्पोडेण्टा सं. 1 व अप्रार्थी रेस्पोडेण्ट सं. 2 के मध्य एक दुरभिसंधि है तथा दोनों ने ही मिन अप्रार्थी अपीलाण्ट को नाजायज परेशान करने की नियत से तहत अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त तहत अदालत को चाहिए था कि वह दोनों पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करें किन्तु तहत अदालत द्वारा मात्र प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र के आधार पर ही आदेश पारित कर दिये। जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। जिससे भी तहत अदालत का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है चूंकि प्रार्थीया रेस्पोडेण्टा सं. 1 द्वारा भी तहत अदालत में अपने प्रार्थना पत्र को मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया गया तथा तहत अदालत द्वारा मिन अप्रार्थी अपीलाण्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। तहत अदालत द्वारा मिन अप्रार्थी अपीलाण्ट की आय का निर्धारण तथा प्रार्थीया रेस्पोडेण्टा सं. 1 की भरण पोषण राशि का निर्धारण किस आधार पर किया यह भी तहत अदालत ने अपने आदेश में दर्ज नहीं किया है जबकि मिन अपीलाण्ट अप्रार्थी के पास मंदिर में पूजा अर्चना के अलावा अन्य कोई आय का जरिया नहीं है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट मंजूर फरमायी जाकर तहत अदालत की आज्ञा दिनांक 01–02–2019 मंसुख फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान वकील अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन व मनन किया, कानून की मंशा देखी गई। रेस्पोडेन्ट्स उपस्थित नहीं आये। अपीलांट्स द्वारा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर के निर्णय दिनांक 01.02.2019 के संबंध में अनुतोष हेतु निवेदन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथमदृष्ट्या अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रकरण अपीलांट व रेस्पो0 सं0 2 की माता रेस्पो0 सं0 1 की देखभाल से संबंधित है, जो पुत्रों का नैतिक दायित्य है। किसी भी संतान को अपने माता–पिता के प्रति नैतिक

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

दायित्वों से परे नहीं होना चाहिए। उक्त स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई जाती है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर का आदेश दिनांक 01.02.2019 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को मरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज.)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान